अपील सूचना अधिकार संख्या 172/2016 अनवानी कृष्णकुमार गर्ग निवासी दुर्गा ट्रंक पेटी स्टोर घडसाना रोड मिस्त्री मार्किट पार्क के पास, मेन रोड रावला मण्डी बनाम लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ

13–06–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्णकुमार गर्ग उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कृष्णकुमार गर्ग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2016 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, मण्डी विकास समिति, सूरतगढ़ से निम्न सूचनाएं चाही थी:–

> विन्रम निवेदन है कि मैने रावला मण्डी (8 पीएसडी) बी आरसी सैक्टर बेरिवाली रोड साईज 10x15 दुकान न. 205 की रजिस्ट्री सीताराम पुत्र भगवानदास से दिनांक 04.09.2015 को कृष्णकुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार अग्रवाल ने खरीद की गई है। इस भूखण्ड 10x15 205 नम्बर का आज तक इन्तकाल नही हुआ है इसकी रजिस्ट्री सीताराम ने कृष्णकुमार को दिनांक 04.09.2015 की रावला उपतहसील मे मौजूद गवाही के समय करवा दी थी। मै इस भूखण्ड का बकाया राशि की व जो दिनांक 04.09.2015 से लेकर पीछे तक का जितना बकाया था जो की बकाया राशि को भरवाया गया है उसकी रसीद व इन्तकाल करवाने बाबत जो डाकोमेंट हो वो व जो विभागीय फीस होगी उसको मांग करने पर तुरन्त अदा कर दी जाएगी। इसके साथ–साथ दिनांक 04.09.2015 से लेकर आगे तक का किराया व अन्य कितना बकाया है उसकी व किराया ज्यादा इकटठा जमा करवाने पर कोई विभागीय छूट हो तो अवश्य जानकारी देना व इस भूखण्ड का निशान हेतु क्या–क्या विभागीय खाना पूर्ति है डेकोमेट की इन उपर लिखें की जानकारी पूर्ण–2 समय मियाद के तहत जानकारी देने का कष्ट करे। यह सूचना आपके क्षेत्राधिकार व आपसे सम्बधित है

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी की अपील पत्र पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 810 दिनांक 05.12.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का सूचना के अधिकार के तहत साधारण कागज पर प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2016 को उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसके कम में वांछित सूचना उनके कार्यालय से संबंधित नही होने के कारण अपीलार्थी का मूल प्रा0 पत्र उपतहसीलदार रावला को पत्र सं0 675 दिनांक 23.08.2016 के द्वारा प्रेषित करते हुए अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया था इसलिए अपील दाखिल दफतर की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ ने अपने पत्र सं0 675 दिनांक 23.08.2016 के द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र का संबंध उपतहसीलदार /उपपंजियक रावला से होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाने के लिए उन्हे प्रेषित कर उक्त पत्र की प्रतिलिप कमांक 676 दिनांक 23.08.2016 के द्वारा अपीलार्थी को भी उपतहसीलदार/उपपंजियक कार्यालय रावला में सम्पर्क के करने के लिए प्रेषित की गई है।

इस प्रकार अपीलार्थी को सूचना प्राप्ति के लिए उपतहसीलदार/उपपंजियक कार्यालय रावला में चाराजोही करनी चाहिए। अगर उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई जाती है तो उनके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 13.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर

Web Copy - Not Official